दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/ 550

दिनांक: 03.11.2026

को,

Plexconcil/ COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: FY 2023-24 के लिए सालाना RoDTEP रिटर्न (ARR) फाइल न करने की वजह से 850 IECs के लिए RoDTEP स्क्रॉल-आउट का सस्पेंशन

हम आपको बताना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस (JNCH), न्हावा शेवा द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, 850 इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड (IECs) के लिए RoDTEP स्क्रॉल-आउट सुविधा रोक दी गई है। ऐसा FY 2023–24 के लिए सालाना RoDTEP रिटर्न (ARR) फाइल न करने/रिपोर्ट न करने की वजह से किया गया है। यह **हैंडबुक ऑफ़ प्रोसीजर (HBP), 2023 के पैरा 4.94 के तहत ज़रूरी है, जिसे DGFT पब्लिक नोटिस नंबर 46/2025-26, तारीख 5 फरवरी 2026** के साथ पढ़ा गया है ।

संबंधित एक्सपोर्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे एनुअल RoDTEP रिटर्न फाइल/रिपोर्ट करने के लिए लागू ज़रूरतों का पालन पक्का करें और उसके बाद संबंधित अलर्ट को हटाने/रद्द करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) से संपर्क करें।

अलर्ट हटाने और ICES 1.5 सिस्टम में इसके दिखने पर, RoDTEP स्क्रॉल बनाने के लिए संबंधित शिपिंग बिल प्रोसेस किए जाएंगे, बशर्ते बाकी सभी लागू शर्तें और सिस्टम की ज़रूरतें पूरी हों।

ज़्यादा जानकारी के लिए, सदस्य JNCH, न्हावा शेवा द्वारा जारी पब्लिक नोटिस देख सकते हैं, जो नीचे दिया गया है।

https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202611031103 29.pdf

साभार

भारती परावे

निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल